Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 4, April - 2023 Publication Date: 30/04/2023

DOIs:10.2018/SS/202304012 --:-- Research Paper / Article / Review

पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: एक बदलती तस्वीर

डॉ. पुष्पा भट्ट
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, हुकम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर.
महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा) – उत्तराखण्ड, भारत
Email – pushpabhatthld@gmail.com

|

सारांश: भारत में वर्ष 1992- 93 में हुए ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का जो दौर शुरू हुआ, वह वास्तव में अभूतपूर्व है| प्रारंभ में पंचायतों के लिए चुनी गई महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदारों की कठपुतलियां मात्र बनकर रह गई थी, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव आया है| पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहल ने महिला नेतृत्व की स्थिति को और अधिक मजबूती प्रदान की है| पंचायतों में वर्ष- दर- वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है| अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनमें आत्म निर्भरता बढ़ी है| जागरूकता आई है| तथा आत्मविश्वास भी बढ़ा है| राजनीतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं| तथा ग्रामीण विकास कार्यों को करवाकर सकारात्मक बदलाव ला रही है| इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतों से ही महिलाओं के राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली| पंचायतों में बढ़ती भागीदारी के कारण महिलाएं हर दिशा में आगे निकल पाई हैं|

मुख्य बिन्दु: पंचायत, महिला नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी, निर्वाचित प्रतिनिधि |

किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के सभी घटकों एवं सभी आयामों में विकास हो| राष्ट्र के विकास में सामाजिक विकास भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| अतः यह आवश्यक है कि देश के सतत विकास के लिए समाज के सभी घटकों जैसे- शोषित व कमजोर वर्ग, महिलाएं, बच्चे वृद्ध आदि का भी विकास हो| इस दिशा में देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रयास किए हैं, जो कि उनकी उन्नति का कारण बने हैं| भारतीय संविधान में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास एवं कल्याण हेतु विशेष प्रावधान किए गये हैं| इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने व सार्वजनिक जीवन में इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत राज में तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगरी निकाय में एक तिहाई पदों पर आरक्षण दिया गया है |[1]

भारत में पंचायतों का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है| परंतु 1992 में सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जो मई 1993 में कार्य रूप में आया| पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें यह सिफारिश की गई कि पंचायत स्तर पर चुने गए सदस्यों में दो महिलाएं तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति से व एक अनुसूचित जनजाति से लिया जाए|[2] इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यों को कर सकेंगी| अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट द्वारा भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए इस समिति ने संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तो तैयार किया लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया| बाद में कुछ राज्यों जैसे केरल, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जिसके ग्रामीण विकास एवं महिलाओं की मुखरता पर अच्छे प्रभाव पड़े| अस्सी के दशक में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि संपूर्ण ग्रामीण विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है| महिलाओं को आरक्षण देने का

मुद्दा 1985- 86 में उठा, उसी वर्ष केन्या के नैरोबी में एक राष्ट्रीय दस्तावेज पेश किया गया, जिसमें महिलाओं के विकास हेतु समुचित प्रबंध किया गया जिसे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वूमेन के नाम से जाना जाता है महिलाओं के सीटों के आरक्षण का प्रश्न नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वूमेन पर छोड़ दिया गया, जिसने 1988 में यह सुझाव दिया कि 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों में लागू किया जाये|[3] तत्पश्चात भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम(1992) पारित किया गया| भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था, जब स्थानीय स्वशासन संस्थानों में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया जो कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी कदम साबित हुआ|

73वें संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला| सबसे ज्यादा खुशियां उन गांवों में मनाई गई जहां पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी| लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ऐसे में संविधान संशोधन एक कारगर हथियार साबित हुआ| पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका| आधी आबादी को भी जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ जो संविधान में तो पहले से मिला था लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था| देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता| इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग किया है चाहे वह घर परिवार हो, खेत खलियान या फिर अन्य किसी भी जगह, महिलाएं पीछे नहीं रही हैं |

प्रारंभ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण लागू होते ही महिलाएं पंचायतों में चुनकर तो आई लेकिन पंचायत संबंधी काम उनके पति या रिश्तेदार किया करते थे| महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे स्वप्न ध्वस्त से होते प्रतीत हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे अब परिस्थितियां बदल रही हैं| और अब पंचायतों के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदारों की कठपुतलियां मात्र नहीं रह गई हैं अब वे आगे बढ़कर फैसले ले रही हैं महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही हैं| आज राजनीतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों में चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं| पंचायतों में अब जो महिलाएं चुनकर आ रही हैं उनमें से ज्यादातर युवा एवं पढ़ी-लिखी हैं वे यह भ्रम तोड़ रही हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में राजनीतिक क्षमता कम होती है|[4] ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु लोकतांत्रिक माहौल व जनभागीदारी के लिए आरक्षित सीटों के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है| कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है |

वर्तमान में उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व गुजरात सहित करीब 21 राज्यों के पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसमें बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| इस व्यवस्था के माध्यम से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा, चूल्हे- चौके तक सीमित रहने वाली इन महिलाओं के लिए नई भूमिका में खुद को साबित करना आसान नहीं था लेकिन जब अधिकार मिले और सिर पर जिम्मेदारियां आई तो धीरे-धीरे काम करने का तरीका भी आ गया| पंचायतों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण की व्यवस्था ने जहां एक और महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है वहीं दूसरी ओर इससे पंचायतों की तस्वीर भी बदल रही है क्योंकि इस व्यवस्था से महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई है| उनमें आत्मविश्वास जगा है| साथ ही इस व्यवस्था ने महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाकर उनकी स्थिति को सुधारने और उनमें जागरूकता लाने का कार्य किया है| आज ग्रामीण महिलाओं का दखल चूल्हे- चौके तक सीमित न रहकर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों के नीति निर्माण में अहम बनता जा रहा है|[5] विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांव के आर्थिक, सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है| पंचायत के माध्यम से विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे-सीधे गांव और ग्रामीणों तक पहुंच पा रही हैं| केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है| सरकार की ओर से पंचायती राज को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु उठाए जा रहे हैं नित नए कदमों से लोगों में नया विश्वास जगा है| अब स्थिति यह है कि महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनमें आत्म निर्भरता भी बड़ी है वह छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं पंचायतों के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायतों से ही महिलाओं की राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली| जब पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई हैं |

"प्रिया" स्वैच्छिक संस्था व उसके सहयोगी संस्थाओं ने चार राज्यों हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की 195 ग्राम पंचायतों का अध्ययन कर निष्कर्ष दिया कि लगभग 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि दुबारा पंचायतों का चुनाव लड़ना चाहती हैं| साथ ही भविष्य में होने वाले पंचायत चुनावों में महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित भी करना चाहती हैं|[6] उपरोक्त से स्पष्ट है कि पंचायतों ने महिलाओं के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन किया है जो महिलाओं को आने वाले समय में अधिक प्रभावी ढंग से स्थानीय स्वशासन में प्रभावी भागीदार बनाने में सहायक होगा|

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायती स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है| वर्ष 2000 में पूरे देश में महिला सरपंचों की संख्या 772677 थी वही 2004 में उनकी संख्या 838245 तक पहुंच गई| इसी तरह पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38412 से 2004 में 47455 हो गई| जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 से वर्ष 2004 में 4923 तक पहुंच गई, जबकि 1994 में महिला आरक्षण लागू होने के बाद अकेले मध्यप्रदेश में 150500 महिलाएं जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर चुनी गई| झारखंड में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद दिसंबर 2010 में हुए पंचायत चुनावों में जिला परिषद में 80 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं का कब्जा हुआ| और पंचायत स्तर पर 55 प्रतिशत के लगभग ने अपनी जीत सुनिश्चित की|[7] वर्ष 2019 में उत्तराखंड के जिला नैनीताल के हल्द्वानी विकासखंड में 60 सीटों पर ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ जिसमें से 35 सीटों पर महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आई जो कुल सीट का 58 प्रतिशत है| क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कुल 39 सीटों के विपरीत 21 महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई जो कुल का 53 प्रतिशत है| तथा जिला पंचायत सदस्यों की 27 सीटों पर 14 सीटों में महिला प्रतिनिधि चुनकर आई है|[8] अब आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य सीटों से भी महिलाएं निर्वाचित होकर आ रही है| वर्ष-दर- वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है श्रेणियों में विभाजित एवं पुरुष वर्चस्व वाले समाज की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है |

देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाकर, अपनी छाप छोड़ ही ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभा रही हैं| जबकि पुरुषवादी मानसिकता के लोग अक्सर यह तर्क देते रहे कि महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक ढंग से नहीं कर सकती हैं लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके विपरीत हैं| महिला जनप्रतिनिधि ग्रामीण विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है जो इन उदाहरणों से स्पष्ट है| मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के बटकीडोह ग्राम पंचायत की सरपंच कली बाई को ग्राम पंचायत में किए गए श्रेष्ठ कार्यों जैसे- तालाबों के निर्माण से जलस्तर में बढ़ोतरी कर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने, ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए 2014 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया| हरियाणा के करनाल जिले की चंद- समंद ग्राम पंचायत की महिला प्रधान द्वारा गंदे पानी को साफ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तालाब विकसित किए गए जिनका उपयोग बागवानी और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है| हरियाणा के ही धौज ग्राम पंचायत की महिला प्रमुख ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नवीन पहल की है जैसे- महिलाओं और लड़कियों का कौशल विकास, स्कूली छात्राओं को उनके अधिकार के लिए प्रेरित करना, पर्दा/ घूंघट आदि रिवाजों के खिलाफ अभियान चलाना आदि| इसी क्रम में राजस्थान के सोडा ग्राम पंचायत की सरपंच छवि राजपूत द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा, पक्की सड़कों, शौचालयों और गांव में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु बेहतर प्रयास किए गए|[9] साथ ही फातिमा बी (आंध्र प्रदेश) सुधा पटेल (गुजरात) गुड़िया बाई (मध्य प्रदेश) सविता बेन (गुजरात) आदि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व संभालने के पश्चात ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक व आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाया है| लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि महिलाओं के लिए चुनौतियां और बाधाएं समाप्त हो गई हैं बल्कि वास्तविकता यह है कि उन्होंने चुनौतियों और बाधाओं से लड़कर ही यह मुकाम हासिल किया है |

विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है| इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में मिल सकते हैं| इस दृष्टि से भारत का उदाहरण महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहां के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था के कारण विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं भारत में ही निर्वाचित होती हैं| विभिन्न सफल महिला नेतृत्व की पंचायतों के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से विकास कार्यों को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आगे ले जाने, आपसी मेलजोल से कार्य करने, हरियाली एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारो को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है| साधारण ग्रामीण

महिलाओं का पंचायतों से जुड़ाव बढ़ता है| इस तरह पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है |

संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदत्त आरक्षण के साथ-साथ स्वयं की रूचि, योग्यता एवं नेतृत्व क्षमता के कारण पंचायतों में महिलाओं का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है| साथ ही वे पंचायतों में अपनी भूमिका भी निभा रही है लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है| प्रभावी भूमिका निभाने हेतु उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं रोड़ा अटका रही है| घर व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें| महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में रह रहा है, राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है| महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व गैर पंचायत कार्यालयों में पुरुष वर्ग का सहयोग नहीं मिल पाता है जिस कारण वे अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाती जिसका प्रभाव उनके कार्य संपादन पर पड़ता है| माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका समाधान संभव नहीं है| महिलाओं की गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम व अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं इनके द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है चूंकि ये कार्यक्रम पंचायतों द्वारा ही लागू किए जाते हैं जिनमें महिलाएं स्वयं भागीदार हैं| इसीलिए आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार आएगा जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा| साथ ही महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व क्षमता निर्माण तथा नेतृत्व संबंधी भूमिकाओं को लेकर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिए जाने की अधिक आवश्यकता है| वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 के तहत पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की अनिवार्यता का नियम लागू है जिसके अनुसार पंचायत प्रमुख व सदस्यों सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, जबकि सामान्य श्रेणी की महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है| निश्चित ही इस नियम से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा| अतः जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती है उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पंचायत से जुड़े फैसले स्वयं करने होंगे|

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि आधी दुनिया कहा जाने वाला महिला वर्ग अवसर व पद प्राप्त होने पर अपने कुशल नेतृत्व व प्रबंधन का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहता| पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व क्षमताए सामने आई है| साथ ही वर्ष –दर- वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है| यह तथ्य इस बात को इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही है| पंचायतों में महिला नेतृत्व की बढ़ती सफलता महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है लेकिन इसके बावजूद आज भी पंचायतों में महिलाओं के समक्ष कई तरह की चुनौतियां विद्यमान हैं| अतः पंचायतों में महिलाओं को उनके अधिकारों, शक्तियों, उत्तरदायित्वों तथा पंचायती कार्यवाही करने हेतु विभिन्न नियमों व कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है| साथ ही पुरुष वर्ग की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें| तभी महिलाएं पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निर्वाह कर पाएंगी| भले ही महिला प्रतिनिधियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए पंचायत संबंधी कार्य तत्परता से कर रही हैं| और ग्रामीण समाज में अपनी सफलता की कहानियां लिख रही हैं| वस्तुतः पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से महिलाओं की तस्वीर बदल रही है|

सन्दर्भ :

1. राणावत, जोरावर सिंह “सतत ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनती महिला सरपंच” कुरुक्षेत्र, वर्ष 64 अंक 11, सितंबर 2019, पृष्ठ- 58
2. महिपाल “पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं” राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली, पृष्ठ-15
3. सेमवाल, राजेश्वरी “पंचायतों में महिलाएं” समय साक्ष्य देहरादून, 2015, पृष्ठ- 166

4. चौधरी, कृष्ण चंद्र "पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी" कुरुक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 9, जुलाई 2018, पृष्ठ- 49
5. खटीक, भवानी मल "पंचायती राज: यथार्थ के आईने में" आधुनिक भारतीय समाज: चुनौतियां एवं परिवर्तन, साहित्यागार जयपुर, 2016, पृष्ठ- 44
6. महिपाल, "पंचायती राज: फाईइंयर्स ऑफ एक्सपीरियंस" प्रिया, (1998) नई दिल्ली फरवरी |
7. शेखर, हिमांशु "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी" कुरुक्षेत्र, वर्ष 60, अंक 3, जनवरी 2014, पृष्ठ-19-20
8. खंड विकास कार्यालय, हल्द्वानी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना सूची- 2019
9. "ग्राम पंचायतों में सफलता की नई गाथाएं लिखती महिला प्रतिनिधि" कुरुक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 9, जुलाई 2018, पृष्ठ- 41